न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 116 / 2025(GCMS 2025/444)
(RTI No. 212677947884633)

श्री खेमचन्द पुत्र श्री ताराचन्द निवासी 6एन–55, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर पिन नं. 335001 (मोबाईल नम्बर – 94146–28414)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी **एवं जिला राजस्व लेखा शाखा** (डीआरए शाखा) कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.01.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमचन्द स्वयं उपस्थित नहीं हुए, उनके द्वारा पूर्व में लिखित बहस पेश की हुई है, जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि उसके द्वारा तीन बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी परन्तु अति. जिला कलक्टर सतर्कता एवं प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने दिनांक 18.08.2025 को सूचित किया है कि उनके आवेदन के बिन्दु संख्या 03 पर चाही गई की सूचना तृतीय पक्षकार से सम्बन्धित होने के कारण उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जबकि धारा 5 की उपधारा (3) में सूचना उपलब्ध करवाने के स्पष्ट प्रावधान दिये गये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उनके द्वारा जिन खातेदारी प्रकरणों के आदेशो / स्वीकृतियों की प्रतियां चाही है या संबंधित पत्रावलियों का निरीक्षण चाहा है उसमें Larger Public Interest निहित है क्योंकि नियम 1970 के नियम 18 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्राधिकृत अधिकारी स्वप्रेरणा से भूमि आवंटन की तिथि से तीन वर्ष पश्चात आवंटिती को खातेदारी अधिकार प्रदत्त करेगा। बर्शत है कि आवंटिती ने इस अवधि के दौरान आवंटन की शर्तो का पालना किया हो।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रशासन द्वारा केवल सूरतगढ़ तहसील के चंद नाम मात्र कृषि भूमि आवंटियों को ही खातेदारी अधिकार नियम 1970 के नियम 18 के तहत प्रदान किये है और सूरतगढ़ तहसील के हजारों व्यक्तियो को जिन्हें बीस पच्चीस से पचास–साठ वर्ष पूर्व कृषि भूमि आवंटित की गई थी, खातेदारी अधिकार जानबूझकर नहीं दिये गये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मेरे आवेदन के बिन्दु संख्या 03 पर चाही गई सूचना व रिकॉर्ड के निरीक्षण ... Larger Public Interest सम्मलित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 116/2025
(GCMS No. 2025/444)
(RTI No. 212677947884633)

उनका आगे **यह भी कथन है कि** केवल ऐसी सूचना जिसे संसद या विधान मंडल को देने से इन्कार किया जा सकता है केवल वही सूचना अधिनियम 2005 के आवेदक को भी नहीं दी जा सकती ही। किसी व्यक्ति के चरित्र व स्वास्थ्य से सम्बन्धित सूचना किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है अर्थात किसी आदमी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कोई रिकॉर्ड या रिपोर्ट है तो ऐसी रिपोर्ट/सूचना की प्रतिलिपि किसी अन्य आदमी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि आम आदमी या जनता का इसमें कोई interest नहीं है। इसलिए उसके द्वारा चाही गई सूचनाएं तृतीय पक्षकार की सूचना मानकर उपलब्ध नहीं करवाना न्यायोचित नहीं है। इसलिए बिन्दु संख्या 03 पर चाही गई सूचना व दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उसे निःशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

अति. जिला कलक्टर (सतर्कता) एवं प्रभारी अधिकारी जि.रा.ले.शा., कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र/अपील के सम्बन्ध में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री खेमचंद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः
>
> 1. श्रीमान लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के पत्रांक आर.टी.आई./89/2025/536 दिनांक 05.08.2025 से आवेदक श्री खेमचंद पुत्र ताराचन्द निवासी 6 एन–55, जवाहर नगर श्रीगंगानगर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2025 को प्राप्त हुआ।
> 2. आवेदक श्री खेमचंद द्वारा उक्त वर्णित प्रार्थना पत्र से तीन बिन्दु की सूचना चाही गई थी। इस क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक डीआरए/सू.का.अधि./2025/979दिनांक 18.08.2025 द्वारा आवेदक को बिन्दु संख्या 1 [illegible] छित सूचना 17 पृष्ठ की होने से [illegible] र से कुल रूपये 34/– कार्यालय में जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु निश्चित समयावधि में ही सूचित कर दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:39 IST
Reason: SelfAttested

अ०व०
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 116/2025
(GCMS No. 2025/444)
(RTI No. 212677947884633)

गया एवं बिन्दु संख्या 3 के संबंध में आवेदक द्वारा वांछित सूचना का संबंध तृतीय पक्षकार के विनिश्चय से व वांछित सूचना काल्पनिक होने से प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 22(16)प्र.सु./सू.अ.प्र./2010 दिनांक 16.12.2011 के अनुसार सूचना उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित नहीं होने के विनिश्चिय से अवगत कराते हुए वांछित अभिलेख को चिन्हित करने के उद्देश्य से आवेदक को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर अभिलेख निरीक्षण हेतु निश्चित समयावधि में ही सूचित कर दिया गय।

3. इस कार्यालय के पत्रांक डीआरए/सू.क.अधि./2025/979 दिनांक 18.08.2025 के क्रम में आवेदन द्वारा बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना जरिये रसीद बुक संख्या 091100 रसीद संख्या 45 दिनांक 01.09.2025 रूपये 34/–कार्यालय में जमा करवाये गये। तत्पश्चात इस कार्यलय द्वारा दिनांक 03.09.2025 को आवेदन को बिन्दु संख्या 01 व की सूचना उपलब्ध करवा दी गई।

4. आवेदक द्वारा दिनांक 01.09.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बिन्दु संख्या 3 के विनिश्चिय के संबंध में आपत्ति दर्ज करवाते हुए संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण करवाने हेतु निवेदन किया गया। इसी क्रम में प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.09.2025 को कार्यलय अभिलेख का निरीक्षण किया गया। आवेदक द्वार अभिलेख निरीक्षण के उपरान्त दिनांक 04.09.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 25 बिन्दुओं के अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां चाही गई। आवेदक द्वारा उक्त अभिलेखों की सूचना की फोटोप्रति शुल्क जरिये रसीद बुक संख्या 091100 रसीद संख्या 55 दिनांक 17.09.2025 रूपये 90/– कार्यालय में जमा करवाये गये। तत्पश्चात इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.09.2025 को आवेदक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

को बिन्दु संख्या 3 सूचना निश्चित समय अवधि में ही उपलब्ध करवा दी गई।

अतः निवेदन है कि आवेदक के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र निस्तारण निश्चित समय अवधि में किया गया है।

अति. जिला कलक्टर (सर्त) एवं प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना दिनांक 03.09.2025 को उपलब्ध करवाई जा चुकी है एवं वांछित सूचना के बिन्दु संख्या 03 में अपीलार्थी द्वारा कार्यालय अभिलेख का निरीक्षण करने के उपरान्त, दिनांक 17.09.2025 को राजकोष में राशि जमा करवाये जाने पर, दिनांक 19.09.2025 को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है, इसलिए अति. जिला कलक्टर (सर्त.) एवं प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है **आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर (सर्त.) एवं प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:39 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर